2012/00012

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कोर्ट कैम्प शिव

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 12/2012

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
हड़मानराम पुत्र भोजाराम जाति जाट निवासी चक मौखाब तहसील शिव		1ग्राम पंचायत मौखाब कला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मोखाब कला 2.कानसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी अमरसिंह की ढाणी तहसील,शिव

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम वास्ते निरस्त करने पट्टा सं. 02 दिनांक 10.08.2004 जो सरपंच ग्राम पंचायत मौखाब कला द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 कानसिंह के नाम से जारी किया गया।

उपस्थितः– 1.प्रार्थी संख्या 01 उपस्थित,अधिवक्ता अनुपस्थित ।
2.अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित।
3.अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित, अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय दिनांक 21.06.2016

1. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत मोखाब कला ने अप्रार्थी संख्या 02 कानसिंह को ग्राम मोखाब कला मे आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 02 दिनांक 10.08.2004 जारी किया गया। प्रार्थी का यह कथन है कि ग्राम मोखाब कला द्वारा गांव में सार्वजनिक प्याऊ के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत की पत्रावली संख्या 30/2010 में पंचायत के सकल्प संख्या 02 दिनांक 05.08.2010 को सार्वजनिक प्याऊ गांव मोखाब कला के नाम से पट्टा संख्या 30 दिनांक .5.08.2010 जारी किया गया है और इसी भूमि पर अप्रार्थी संख्या 02 के नाम पट्टा जारी किया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत मोखाब कला ने मिसल कायम नहीं की है, प्रस्ताव पारित नहीं किया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी पट्टा की भूमि सार्वजनिक प्याऊ गांव मोखाब कल्ला के नाम की भूमि होने, विधित जॉच एंव निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनाकर मिसल कायम नहीं कर विधि विरूद्ध पट्टा जारी करना बताते हुए यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत मोखाब कला से पट्टा से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया। ग्राम सेवक एंव पदेन सचिव ग्राम पंचायत मोखाब कला ने दिनांक 10.03.2013 को पत्र पेश कर मिसल व बैठक कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नही होना बताया।

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट शिव में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभयपक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी उपस्थित रहा, अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहा,अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित रहे। अधिवक्ता उपस्थित रहे।

4. हमने उभय पक्ष को सुना। पत्रावली एंव तहसीलदार,शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम पंचायत मोखाब कल्ला ने अप्रार्थी संख्या 02 कानसिंह के हक में 1625 वर्ग फीट का पट्टा संख्या 02 दिनांक 10.08.2004 को जारी किया गया है। जिसे खारिज करने हेतु प्रार्थी ने धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष निगरानी पेश की है। अप्रार्थी कानसिंह ने सरपंच ग्राम पंचायत मोखाब कला को पट्टा जारी करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया। अप्रार्थी द्वारा यह आवेदन किस तारीख को लिखा गया व किस तारीख को सरपंच के समक्ष पेश किया गया है, उसकी प्रति न तो अप्रार्थी संख्या 02 ने पेश की है और न ही ग्राम पंचायत ने पट्टा से सम्बन्धित मिसल कायम की है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 के तहत कोई व्यक्ति पंचायत से भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने आवेदन पत्र. में भूमि का विवरण देगा जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो और आवदेन पत्र के साथ स्थल निरीक्षण के खर्च के 25/–रूपये और स्थल का नक्शा तैयार करने हेतु भी 25/–जमा कराने चाहिये। मगर इस मामले में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा राशि जमा कराने का कोई साक्ष्य नहीं है। नियम 146 के तहत 3 पंचो की समिति प्रतिनियुक्त कर स्थल रिपोर्ट मंगवाने का प्रावधान है जो इस नियम के उप नियम 3 के सब क्लाज क से ड़ में वर्णित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट देगी। ग्राम पंचायत शिव ने मौका कमेटी गठित करने और मौका रिपोर्ट प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है न ही मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है। नियम 147 के तहत पंचायत को अपनी बैठक से पूर्व समिति में अन्तिम विनिश्चय पारित करना था और नियम 148 के तहत प्रारूप 02 में एक नोटिस व एक माह के भीतर आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करना थां इस नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर किसी सदृश्य स्थल पर दो

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूबरू चस्पा करनी चाहिये थी। मगर इस मामले में कोई नोटिस जारी करने का कोई साक्ष्य नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध पट्टा दिनांक 10.08.2004 की प्रति के अवलोकन से ग्राम पंचायत ने यह पट्टा 200/—वसूल करना अंकित किया है। नियम 157 पुराने गृहो का विनियमितिकरण के नियम 157(1)(क) के अनुसार 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानो हेतु 100/—एंव नियम 157(1)(ख)अनुसार इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान पुराने मकानो हेतु रूपये 200/—प्राप्त कर पट्टा जारी करने का प्रावधान है। मगर इस मामले मं मौका कमेटी की कोई रिपोर्ट एंव मकान निर्मित होना और पुराना मकान होने का रिकॉर्ड पर कोई दस्तोवज नहीं है। अप्रार्थी संख्या 02 को किस आधार पर 1625 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया गया,कोई आधार साक्ष्य दस्तावेज के रूप में नहीं है। विवादग्रस्त भूखण्ड की तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका जॉच रिपोर्ट अनुसार विवादित भूखण्ड ग्राम मोखाब कला के खसरा नम्बर 387/96 रकबा 10 बीघा गैर मुमकिन आबादी का हिस्सा है विवादित भूखण्ड का सार्वजनिक प्याऊ के नाम ग्राम पंचायत मोखाब कला द्वारा पट्टा जारी होना एंव अप्रार्थी कानसिंह को पट्टा संख्या 02 दिनांक 10.08.2004 जारी होना बताया है। पट्टा फीस की रसीद में अंकित तिथि 10.08.2005 होना, पट्टे को नक्शे में दिखाई गई सीमाओ के माप में कांट—छांट होना,विवादित भूखण्ड के बांयी ओर दो दुकाने कानसिंह की होना तथा विवादित भूखण्ड पर दो साईड में बाउण्ड्री बनी होना,जो कानसिंह द्वारा लगभग 6 माह पूर्व बनवायी होना व आबादी भूमि में खाली पड़े टुकड़े को कब्जा करने की नियत से पट्टा बनवाना बताया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध पट्टा 30 दिनांक 05.08.2010 के अवलोकन से ग्राम पंचायत ने सार्वजनिक प्याऊ ग्राम मोखाब कला के नाम भी पट्टा जारी किया गया है और अप्रार्थी सख्या 02 कानसिंह को भी दिनांक 10.08.2004 को पट्टा संख्या 02 जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत ने कोई जवाब पेश नहीं किया। ग्राम पंचायत मोखाब कला ने बिना जॉच किये एंव बिना विधिवत प्रक्रिया अपनायें एव मिसल कायम बिये बिना अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पट्टा जारी किया है। राजस्थान पंचायत राज नियमो में पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही की वैधता,शुद्धता एंव औचित्यता का मूल रिकॉर्ड से पुनरीक्षण करने का प्रावधान है। मगर इस मामले में ग्राम पंचायत शिव ने कायम की गई मिसल, कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया है। ग्राम पंचायत मोखाब कला से रिकॉर्ड तलब करने पर ग्राम सेवक एंव पदेन सचिव ग्राम पंचायत मोखाब कला ने अपने पत्र दिनांक 10.03.2013 में जारी पट्टे से सम्बन्धित

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

मिसल एव कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं होना बताया है। इस प्रकार इस मामले में ग्राम पंचायत मोखाब कला ने नियम 145 से 157 की पालना नहीं कर मिसल कायम किये बिना एंव निर्धारित प्रकिया अपनाये बिना जारी पट्टे की सत्यता निर्विवाद रूप से साबित नहीं है। जिसके अभाव में पट्टा विलेख दिनांक 10.08.2004 को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा 02 दिनांक 10.08.2004 विधि सम्मत नहीं होने से खारिज करने योग्य है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत मौखाब कला द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 कानसिंह के पक्ष में जारी आबादी भूमि का विकय विलेख पट्टा संख्या 02 दिनांक 10.08.2004 को खारिज किया जाता है और मामला सरपंच ग्राम पंचायत मोखाब कला को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए सार्वजनिक प्याऊ मोखाब कल्ला के नाम पट्टा जारी है अथवा नहीं, एंव क्या ग्राम पंचायत नियमों के अन्तर्गत सार्वजनिक प्याऊ के नाम से पट्टा जारी कर सकती है? और जारी दोनो पट्टे किस किस माप एंव लोकेशन पर स्थित है, की जॉच करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 157 में अंकित प्रकिया का अनुसरण कर मामले में नियमानुसार पुनः उचित आदेश पारित करें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प शिव में आज दिनांक 21.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर